



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29042026-272159  
CG-DL-E-29042026-272159

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2052]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 29, 2026/वैशाख 9, 1948

No. 2052]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 29, 2026/VAISAKHA 9, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2026

**का.आ. 2125(अ).**— केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गुजरात राज्य में अदानी पोर्ट और एसईजेड पाइपलाइन नेटवर्क के अंतर्गत मुन्द्रा से मीठीरोहर स्थित रिसीविंग स्टेशन तक एल.पी.जी परिवहन के लिए अदानी पोर्ट एंड एसईजेड लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए ;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन(भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में श्री चंद्रकांत एस. सोलंकी (सेवानिवृत्त), सक्षम प्राधिकारी और

अतिरिक्त कलेक्टर (सिंचाई), अदानी पोर्ट एंड एसईजेड लिमिटेड, अदानी पोर्ट और एसईजेड पाइपलाइन नेटवर्क, कच्छ ज़िला, गुजरात राज्य को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

क्रम सं.	गाँव का नाम	सर्वे / ब्लोक नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग
1	2	3	4	5	6
तालुका: गांधीधाम		जिला: कच्छ	राज्य: गुजरात		
1	चुडवा	77	00	03	63
		78	00	05	13
		79	00	02	10
		80	00	02	99
		84	00	06	74
		86	00	07	78
		243/ पैकी	00	02	25
		243/ पैकी ( पुराना नं. 266)	00	02	49
		243/ पैकी ( पुराना नं. 263)	00	08	39

[फा. सं. आर-11029/11/2025-ओआर-II/ई-52559]

हरित कुमार शाक्य, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2026

**S.O. 2125(E).**— Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of L.P.G under Adani Port & SEZ Pipeline Network from Mundra to Receiving Station at Mithirohar, a pipeline should be laid in the State of Gujarat by Adani Port & SEZ Limited.

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri Chandrakant S. Solanki, (Retd.), Competent Authority and Additional Collector (Irrigation), Adani Port & SEZ Limited, Adani Port & SEZ Pipeline Network in Kachchh District, Gujarat State.

SCHEDULE

Sr. No.	Name of Village	Survey / Block No.	Area		
			Hect	Are	Sq. Mt.
1	2	3	4	5	6
TALUKA: GANDHIDHAM		DISTRICT: KACHCHH	STATE: GUJARAT		
1	CHUDVA	77	00	03	63
		78	00	05	13
		79	00	02	10

Sr. No.	Name of Village	Survey / Block No.	Area		
			Hect	Are	Sq. Mt.
1	2	3	4	5	6
		80	00	02	99
		84	00	06	74
		86	00	07	78
		243/P	00	02	25
		243/P (Old No. 266)	00	02	49
		243/P (Old No. 263)	00	08	39

[F. No. R-11029/11/2025-OR-II/E-52559]

HARIT KUMAR SHAKYA, Under Secy.